संख्या-15/2023/001-334/60-1-2023

प्रेषक,

सुनील कुमार यादव
अनु सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
महिला कल्याण,
उ0प्र0, लखनऊ।

महिला कल्याण अनुभाग-1 **लखनऊ::दिनांक 31 मार्च, 2023**

विषय:- भारत सरकार द्वारा भवनों के निर्माण हेतु स्वीकृति धनराशि को एस0एन0ए0 खाते में अन्तरित किये जाने हेतु वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदया,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या-4336/निदे0म0क0/प्रोबे0/भ0नि0/2022-23, दिनांक 21.03.2023 के अनुक्रम में चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-49 के अन्तर्गत लेखाशीर्ष- 4235-समाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-02-समाज कल्याण-103- महिला कल्याण- 01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-0102-विभागीय संस्थाओं/गृहों का निर्माण (के060/रा040, के0+रा0)-24- वृहत निर्माण कार्य में प्राविधानित धनराशि रू0 3450.00 लाख में से भारत सरकार द्वारा भवनों के निर्माण हेतु केन्द्रांश के रूप में अवमुक्त धनराशि रू0 306.20 लाख को एस0एन0ए0 खाते में अन्तरित किये जाने पर स्वीकृति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं । उक्त धनराशि का निवर्तन निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन किया जाता है :-

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों

1. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय राज्य सरकार तथा भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्ययोजना के अनुसार योजना की गाइडलाइन्स का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
2. प्रश्नगत धनराशि के आहरण एवं व्यय के पूर्व निदेशक, महिला कल्याण द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि योजनान्तर्गत अपेक्षित केन्द्रांश की धनराशि राज्य की समेकित निधि में जमा है।
3. इस सम्बन्ध में भारत सरकार के पत्र दिनांक 15.03.2023 एवं पत्र दिनांक 20.12.2022 के दिशा-निर्देशों का अनुपालन निदेशक, महिला कल्याण द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
4. प्रस्ताव में आंकडों की शुद्धता का दायित्व निदेशक, महिला कल्याण का होगा।
5. प्रस्तावित वित्तीय स्वीकृति उपलब्ध बजट प्राविधान की सीमा के अन्तर्गत रहेगी, यह निदेशक, महिला कल्याण का उत्तरदायित्व होगा।
6. वित्तीय स्वीकृतियॉ जारी करने अथवा धनराशि को विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने से पूर्व निदेशक, महिला कल्याण के स्तर पर की जाने वाली समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति अनिवार्यतः सुनिश्चित कर ली जाये। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का विभागाध्यक्ष /नियंत्रक अधिकारी के निर्वतन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नही देता है।
7. जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति विभागाध्यक्ष/ नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।
8. निदेशक, महिला कल्याण सम्भावित व्यय को एक मुश्त आहरित न करके फेजिंग के अनुसार किया जाये।
9. विभागाध्यक्षों/अन्य नियंत्रक अधिकारियों द्वारा बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाये कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाये।

10 व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के सबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

11. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 07 जून, 2022 में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

12. प्रत्येक परियोजना की धनराशि आहरित किये जाने से पूर्व वित्त विभाग की अनुमति प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 3,06,20,000 (रुपये तीन करोड़ छह लाख बीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 049 लेखा शीर्षक 4235021030102 विभागीय संस्थाओं / गृहों का निर्माण (के.60/रा.40-के.) मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या-ई-4-579-X-2022-23, दिनांक 31 मार्च, 2023 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

सुनील कुमार यादव,
अनु सचिव

संख्या-15/2023/001-334/60-1-2023, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश,लखनऊ/प्रयागराज।
3- निदेशक स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 सिविल लाइन्स, प्रयागराज।
4- मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, निदेशालय महिला कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
5- समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6- मुख्य कोषाधिकारी जवाहर भवन लखनऊ।
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-4
8- राज्य योजना आयोग अनुभाग-2
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(सुनील कुमार यादव)
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।